(10)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–09/2016/ 08 पटना, दिनांक: 05/01/18

कार्यालय आदेश

श्री शिवकुमार प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कॉटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति में की गयी क्षति/गबन के लिए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 239/आपूर्त्ति दिनांक 28.01.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 67 सहपठित ज्ञापांक 511 दिनांक 11.03.2016 द्वारा शिवकुमार प्रसाद पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

प्रपत्र 'क' में श्री शिवकुमार प्रसाद के विरूद्ध आरोप का गठन निम्नरूपेण किया गया था :–

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 185/आपूर्त्ति, दिनांक 29.01.2013 द्वारा अधिप्रप्ति क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में आपको प्रतिनियुक्त किया गया था।

जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 154 दिनांक 21.01.2016 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शिव कुमार प्रसाद के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 **में अधिप्राप्ति किए गए धान की मात्रा में से 307.90 क्विंटल धान मिलरों को आपूर्त्ति नहीं की गयी।** अवशेष 307.90 क्विंटल धान भौतिक सत्यापन के क्रम में क्रय केन्द्र पर नहीं पाया गया, जिसका 1421.00 (एक हजार चार सौ इक्कीस) रूपये प्रति क्विंटल की दर से 437525.90 (चार लाख सैतीस हजार पॉच सौ पच्चीस रूपये नब्बे पैसे) रूपये होता है। उक्त राशि आपके द्वारा गबन/क्षति किया गया है।

आपका यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) (i)(ii) एवं (iii) का उल्लंधन है।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक 180/वि०जॉ० दिनांक 23.06.2017 के माध्यम से श्री शिवकुमार प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

3. समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री शिव कुमार प्रसाद के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निष्कर्ष दिया है कि "आरोपी पदाधिकारी एवं साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी के उपर्युक्त स्पष्टीकरण एवं प्रतिवेदन पर सम्यक समीक्षोपरान्त यह तथ्य परिलक्षित होता है कि पी०सी०सी०–01. एवं पी०सी०सी०–02, कॉटी प्रखंड के अवस्थित गोदामों के प्रभार में श्री शिवकुमार प्रसाद प्रतिनियुक्त थे एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा उक्त गोदामों पर रखे गये अधिप्राप्ति धान का उठाव करने हेतु उनके द्वारा उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया, परन्तु कतिपय कारणों

से धान का उठाव ससमय नहीं हो पाने के कारण जिला स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में अवशेष 24072.80 क्वीं० धान की नीलामी की गयी। आरोपी पदाधिकारी के अनुसार उक्त धान की नीलामी एग्रो इन्डस्ट्रीज शेखपुरा को हुआ था, जिन्हें नीलामी किये गये धान की मात्रा को अविलंब उठाव कराकर नीलामी प्राप्त करने वाले मिलर को दिये जाने का दायित्व गोदाम प्रभारी का था। आरोपी पदाधिकारी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकारा है कि मिलर के द्वारा नीलामी का धान ससमय उठाव नहीं किये जाने से 307.90 क्वीं०धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर अवशेष बच गया, जो प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गया।

साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी अपने मंतव्य में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वीकारोक्ति को सम्पुष्ट किया गया है एवं उनके द्वारा इस संदर्भ में किये गय पत्राचार की संपुष्टि आपूर्त्ति शाखा मुजफ्फरपुर से कारये जाने का उल्लेख किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप में अवशेष धान, जो नीलाम के पश्चात उठान नहीं किया गया है, के गबन का आरोप प्रतिवेदित है एवं सरकारी कार्यो के अवहेलना एवं उपेक्षापूर्ण रवैये का आरोप प्रतिवेदित है। चूँकि प्रतिवेदित धान की मात्रा नीलामी किये गय धान का अवशेष के रूप में क्रय केन्द्र पर नष्ट हुआ है, इससे यह स्पष्ट है कि अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध अवशेष बचे धान की गुणवत्ता में कमी के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा उसे नीलाम किया गया था, तो ऐसी स्थिति में केन्द्र प्रभारी के रूप में श्री प्रसाद का यह दायित्व बनता है कि शत–प्रतिशत नीलामी के धान को बिना किसी उच्चाधिकारी के निदेश प्राप्त हुए नीलाम में प्राप्त करने वाले मिलर को उपलब्ध करायी जाय, परन्तु आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मिलर द्वारा उठाव किये जाने की प्रतीक्षा कर इस संदर्भ में लिखित कार्रवाई की खानापूर्त्ति की गयी । जिससे आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने तथा कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।

श्री शिव कुमार प्रसाद, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध लगाए गये आरोप प्रमाणित होते हैं।"

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1542 दिनांक 19.07.2017 द्वारा श्री शिव कुमार प्रसाद से अभ्यावेदन की मॉग की गयी । श्री शिव कुमार प्रसाद द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 17.10.2017 को समर्पित किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा उन्हीं बातों को दुहराया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को दिया गया था। इसके साथ इनके द्वारा कहा गया है कि प्रखंड कॉटी स्थित सिर्फ पी०सी०सी०–02 के ही प्रभार में था, जबकि संचालन पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि प्रखंड कॉटी स्थित पी०सी०सी०–01 एवं 2 दोनों के प्रभार में थे, जो गलत है।

5. इस प्रकार श्री शिव कुमार प्रसाद पर गठित आरोप एव उस पर संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से इन पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने तथा कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है। गबन/क्षति किये गये धान की राशि 4,37,525.90 (चार लाख सैंतीस हजार पॉच सौ पच्चीस रूपये नब्बे पैसे) रूपये श्री शिव कुमार प्रसाद से वसूलनीय भी है।

6. अतः श्री शिव कुमार प्रसाद तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कॉटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर संप्रति प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण पर सरकारी राशि के गबन/क्षति का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचियात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड का अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–09/2016 41 पटना, दिनांक : 05.01.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री शिव कुमार प्रसाद से सरकारी राशि के गबन/क्षति की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।
4. कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शिव कुमार प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कॉटी प्रखंड, मजफ्फरपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/1/18
निदेशक